फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

नौला बनाम नारायण

मुकदमा संख्या /वर्ष : 81 /2004 दावा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का मनन कर पाया गया कि मौजूदा प्रकरण से संबंधित विवादग्रस्त भूमि बाबत अब्दुल रहमान बनाम सरकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लम्बित होना तहसीलदार जयपुर द्वारा न्यायालय को अपने पत्र से अवगत कराया है। अतः न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि रेफरेन्स निर्णित होने तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही न की जावे। जब न्यायालय रेफरेन्स निर्णित होने तक कोई कार्यवाही करना उचित नहीं पाता तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को भी लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। मौजूदा प्रकरण को फिलहाल नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर किया जाना उचित है, इससे पक्षकारान के समय, श्रम और धन की भी बचत होगी। रेफरेन्स के निर्णय उपरान्त इस प्रकरण के कोई भी पक्षकार इच्छुक प्रकरण को पुनः बाद नम्बर पर लेकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने के लिये आवेदन देने हेतु स्वतंत्र है। उक्त विवेचन के अनुसार फिलहाल पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:54:23 IST
Reason: Self Attested